मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम,1960

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. अनुज्ञापन मंडल की नियुक्ति और विधान
4. मंडल के कार्य
5. मंडल की बैठकें
6. गणपूर्ति
7. मंडल के निर्णय
8. बैठक का सभापति
9. उपसमिति
10. सचिव के दायित्व
11. इन विनियमों के अधीन परीक्षाएँ
12. परीक्षकों की नियुक्ति
13. प्रवेश हेतु अर्हता
14. (एक) पर्यवेक्षक की परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता

    (दो) तार मिस्त्री परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता
15. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र
16. पर्यवेक्षक परीक्षा
17. परीक्षण और त्रुटि सेवा
18. तार मिस्त्रियों की परीक्षा
19. परीक्षाओं में सम्मिलित होने से छूट
20. पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाणपत्र तथा अनुज्ञा पत्र प्रदान करना
21. तार मिस्त्री (वायरमेंन) को प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञापत्र प्रदान करना

MAP IT (MP Code)
www.sedemp.gov.in

22. सक्षमता का प्रमाण-पत्र और पर्यवेक्षक अनुज्ञापत्र और तार मिस्त्री प्रमाण-पत्र था अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रतिलिपि स्वीकृत करना

23. अनुज्ञापत्र की वापसी या निलम्बन

24. विद्युत ठेकेदारों को अनुज्ञापत्र

25. ठेकेदार अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन पत्र

26. एक समुचित अनुज्ञप्ति “ए" और "बी" श्रेणी की उपयुक्त अनुज्ञप्ति विहित फीस का भुगतान करने पर प्रारूप "जे" में उस ठेकेदार को दी जायेगी जिसने मंडल को इस बात से समाधान करा दिया हो कि

27. ठेके का तारीका

28. कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट

29. ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की अवधि तथा नवीनीकरण

30. ठेकेदार के अनुज्ञापत्र की प्रतिलिपि स्वीकृत करना

31. ठेकेदार का अनुज्ञा-पत्र निरस्त या निलम्बित करना

32. ठेकेदार पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री व्दारा अनियमितता या अवहेलना

33. सचिव व्दारा विनियमों के अधीन जारी किए गए समस्त अनुज्ञा-पत्र धारक विद्युत् ठेकेदारों, पर्यवेक्षकों और तार मिस्त्रियों की एक पंजी रखी जाएगी

34. फीस

35. अन्य राज्य व्दारा जारी किए गए पर्यवेक्षक के सक्षमता प्रमाण-पत्र की मान्यता

36. विलुप्त

37. विलुप्त

- अनुसूची

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम,1960

अधिसूचना क्रमांक 1319-627-तेरह-दिनांक-14 अप्रैल, 1960 -- मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) के पृष्ठ 739-757 पर प्रकाशित तथा अधिसूचना क्रमांक 2818 एफ- 1 -21 -तेरह- 86, दिनांक 19-6-91 मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 3- 1 - 1992 के पृष्ठ 4 पर प्रकाशित एवं संशोधित

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन विनियमों को मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 कहा जा सकेगा ।

(2) इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ- इन विनियमों में - जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "(परिषद) मंडल" से इन विनियमों के खण्ड 3 के अधीन गठित अनुज्ञापन मंडल अभिप्रेत है

(ख) "ठकेदार" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या संस्था जो कि नियमित या नियमित रूप से मध्य प्रदेश में विद्युत् संस्थापन का व्यवसाय करता हो;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन विनियमों के संलग्न प्रारूप;

(घ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इन विनियमों के खण्ड 26 के अधीन जारी ठेकेदार की अनुज्ञप्ति जिसकी व्याख्या तद्नुसार की गई हो;

(ड) "अनूसूची" से अभिप्रेत है इन विनियमों के संलग्न अनुसूची;

(च) "सचिव" से अभिप्रेत है अनुज्ञापन मंडल का सचिव ।

एक- अनुज्ञापन मंडल

MAP IT (MP Code)

3. अनुज्ञापन मंडल की नियुक्ति और विधान - इन विनियमों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य शासन निम्नानुसार अनुज्ञापन मंडल का गठन करेगी-

www.code.mp.gov.in

1 [(एक) शासन का मुख्य अभियन्ता (विद्युत सुरक्षा) जो मंडल का अध्यक्ष होगा ।

2[(दो) वरिष्ठ सहायक विद्युत निरीक्षक जो मंडल का सदस्य और सचिव होगा ।

3[(तीन) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल व्दारा नामांकित ट्रासंमिशन एवं वितरण प्रभार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रतिनिधि ।

4[(चार) तकनीकी शिक्षा का संचालक ।

1. अधि० क्र० 1318 एफ-1-21-तेरह 86 दि० 3-3-90 व्दारा स्थापित ।
2. अधि० क्र० 1160-एफ-2-47-तेरह 79 दि० 4-4-81 व्दारा स्थापित ।
3. अधि. क्र० 3164-2328 -तेरह, दि० 19-8-75 व्दारा स्थापित ।

(पांच) खनिज विभाग का प्रतिनिधि ।

[(छः) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल व्दारा नामांकित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के उत्पादन प्रभाग का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि ।

(सात) मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि ।
(आठ) मध्य प्रदेश के अनुज्ञापन विद्युत कान्टेक्टर्स का प्रतिनिधि ।
[(नौ) भारत सरकार के मुख्य खनिज निरीक्षक का प्रतिनिधि ।

[टिप्पणी-- (1) खण्ड (सात) और (आठ) में उल्लिखित प्रतिनिधि शासन व्दारा मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था से होगा । मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन के अभाव में शासन व्दारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होगा। उक्त प्रतिनिधि इंस्टीटूट आफ दी इस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) का नियमित (संगठित) सदस्य होना चाहिये या प्रत्येक प्रकरण में उसके समकक्ष अर्हता वाला हो जिसे राज्य शासन स्वीकृति दें ।

(2) वैकल्पिक सदस्य के रूप में हित धारण करने वाले प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ।

4. मंडल के कार्य-- मंडल के कार्य इसके अधीन रहेंगे मंडल व्दारा निम्न कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कोई भी निर्णय अन्तिम होगा-
(एक) विद्युत् ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना;
(दो) दो पर्यवेक्षकों एवं तार मिस्त्रियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना ;
(तीन) (क) पर्यवेक्षकों को सक्षमता और अनुज्ञा-पत्र प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना;
(ख) तार मिस्त्रीओं को प्रमाण-पत्र एवं अनुज्ञा-पत्र देना;
(चार) इन विनियमों के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण;
(पांच) आवेदनों एवं प्रमाण-पत्रों को जो असत्य पाये जावे, निराकृत करना एवं उन पर लिए गए निर्णयों अनुसार इस निमित्त उचित कार्यवाही करना;
(छः) जब मंडल का यह समाधान हो जाए कि पर्यवेक्षक एवं तार मिस्त्रीओं को निर्धारित परीक्षा में, उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, छूट दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो, छूट देना;
(सात) इन विनियमों के अधीन राज्य में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा एवं जांच हेतु प्रतिनिधियों को नामांकित करना;
(आठ) विद्युत ठेकेदारों पर्यवेक्षकों एवं तार मिस्त्रियों व्दारा की गई अनियमितताओं को सुनना एवं उनका निरीक्षण करना; और
(नौ) सामान्यत: विनियमों में उल्लेखित नियमों का पालन करवाना ।

[4 क संभागीय अनुज्ञापन समितियां- (1) संभागीय विद्युत् निरीक्षक के प्रत्येक मुख्यालय के लिये एक समिति गठित की जाएगी, जिसे संभागीय अनुज्ञापन समिति कहा जायगा । इसकी अधिकारिता, संभागीय विद्यत निरीक्षक की अधिकारिता के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र पर होगी ।

1. अधि० क्र० 3164-2328 तेरह, दि० 19-8-75 व्दारा स्थापित ।

2. अधि० क्र० 1216-5589 तेरह-69 दिनांक 2-4-1969 व्दारा स्थापित ।
3. अधि० क्र० 1318-एफ-1-21 तेरह-86 व्दारा स्थापित ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(2) संभागीय अनुज्ञापन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्-

(क) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल व्दारा नामांकित अधीक्षण यंत्री	अध्यक्ष
(ख) एक राज्य सरकार व्दारा नामनिर्दिष्ट तकनीकी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग) सम्बन्धित संभागीय विद्युत निरीक्षक	सदस्य/सचिव

(3) संभागीय अनुज्ञापन समिति गठित होने पर निम्नलिखित विषयों के बारे में मंडल के कृत्यों का निवर्हन संभागीय अनुज्ञापन समिति व्दारा किया, जाएगा और इन विनियमों के अधीन इन कृत्यों के बारे में मंडल इसके अध्यक्ष या सचिव के प्रति किया गया कोई भी निर्देश क्रमश: संभागीय अनुज्ञापन समिति, उसके अध्यक्ष तथा सचिव के प्रति निर्देश समझा जाएगा–

(क) विद्युत् ठेकेदारों को "बी" श्रेणी की अनुज्ञप्तियां मंजूर करना;

(ख) तार मिस्त्रियों के लिये परीक्षाएँ संचालित करना;

(ग) तार मिस्त्रियों को प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञापत्र मंजूर करना;

(घ) किसी उम्मीदवार को तार मिस्त्री के लिए विहित परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान करना जबकि संभागीय अनुज्ञापन समिति का यह समाधान हो जाए कि उसकी (उम्मीदवार की) अर्हताओं और अनुभव के कारण वह ऐसी छूट पाने का हकदार है;

(ड.) तार मिस्त्रियों की परीक्षाएँ लेने तथा उनका परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए उसकी अधिकारिता के अधीन विभिन्न केन्द्रों में प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करना;

[(च) "बी" श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों तथा तार मिस्त्रियों व्दारा किये गये कदाचार के मामलों की सुनवाई करना तथा उनका विनिश्चय करना;

(छ) संभागीय अनुज्ञापन समिति को आबंटित किये गये कृत्यों के कारण उद्भुत किसी विषय के बारे में आवेदन पत्रों तथा प्रशंसा पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना और आवेदन पत्र तथा प्रशंसा पत्र गलत पाये जाने की दशा में ऐसी कार्यवाही करना जैसा कि विनिश्चत की जाय; और

(ज) इन विनियमों के अधीन उसके कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन करने हेतु सामान्यत: ऐसी कार्यवाही करना जैसी की आवश्यक समझी जाय ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

4 -ख. विनियम 4 - क के खण्ड (3) के अधीन संभागीय अनुज्ञापन समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति मंडल को अपील कर सकेगा । प्रत्येक ऐसी अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न की जायगी, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो और व्यथित व्यक्ति व्दारा समिति का आदेश प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत की जायगी ।]

5. मंडल की बैठकें - (एक) प्रत्येक छह माह में मंडल की एक सामान्य सभा आयोजित की जायगी ।

(दो) अध्यक्ष जब वह उचित समझे मंडल की विशेष बैठक बुला सकेगा ।

(तीन) सचिव व्दारा प्रत्येक बैठक का सूचना पत्र प्रत्येक सदस्य को बैठक के 15 दिन पूर्व भेजा जायेगा।

6. गणपूर्ति - मंडल की बैठक में [1][चार] सदस्यों की उपस्थितियों पर गणपूर्ति माना जाएगा ।

7. मंडल के निर्णय - (एक) मंडल के प्रत्येक निर्णय को बैठक में निर्धारित करना अथवा सम्बन्धित पत्रों का प्रसार मंडल के सभी सदस्यों को करना ।

(दो) बैठक में प्रस्तुत सभी प्रश्नों का बहुमत के आधार पर निराकरण करना ।

(तीन) मंडल के प्रत्येक सदस्य को सभी प्रश्नों का प्रसार करना एवं लिखित निर्णय प्राप्त होने पर बहुमत के आधार पर क्रियान्वयन करना ।

[7-क. कार्यवाहियों की प्रमाणिकता एवं अनुमान - इन विनियमों के अधीन किये गये कार्यो या कार्यवाहियों को मंडल के सदस्यों व्दारा नकारा नहीं जायगा चाहे वे मंडल के संविधान के त्रुटि या अनियमितता से ही क्यों न सम्बन्धित हो ।

8. बैठक का सभापति- मंडल की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष व्दारा संचालित की जायगी यदि वह उपस्थित हो तो अन्यथा बैठक में उपस्थित सदस्यों में से बैठक का सभापति चुना जायगा ।

9. उपसमिति - मंडल का यह अधिकार होगा कि वह उप-समिति का गठन करे एवं इन उप-समितियों को मंडल के अधिकार प्राप्त रहेंगे ।

10. सचिव के दायित्व - सचिव का दायित्व होगा कि-

(एक) विद्युत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना और इससे सम्बन्धित पत्र व्ववहार करना;

(दो) पर्यवेक्षकों एवं तार मिस्त्रीयों की परीक्षा के प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना एवं उससे सम्बन्धित पत्र व्यवहार करना;

(तीन) विद्युत ठेकेदारों और पर्यवेक्षकों तथा तार मिस्त्रियो को जारी होने वाले अनुज्ञा पत्रों तथा सक्षमता प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करना;

[(चार) विद्युत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना ।

MAP IT (MP Code)

[(10 क. सचिव के कृत्यों का प्रत्यायोजन - मंडल, सचिव के ऐसे कृत्यों को जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) तथा कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

www.code.mp.gov.in

1. अधि० क्र० 3674 - 2259 तेरह, दि० 3-7-64 व्दारा स्थापित ।
2. अधि० क्र. 1956-646 - तेरह दि० 19-5-61 व्दारा स्थापित ।
3. अधि० क्र० 1318 - एफ - 1 - 21 तेरह -86 दि० 3-3-90 व्दारा स्थापित ।
4. उपरोक्तानुसार स्थापित ।

दो -परीक्षायें

[11. इन विनियमों के अधीन परीक्षाएँ - वर्ष मे एक बार जुलाई में ऐसे स्थान या स्थानों पर तथा ऐसी तारीखों को ली जाएँगी जैसा कि सचिव समय-समय पर अवधारित करें ।

12. परीक्षकों की नियुक्ति

(एक) मन्डल व्दारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानीय परीक्षकों की किसी भी परीक्षा केन्द्र पर

नियुक्ति करना ।

(दो) ऐसे स्थानीय परीक्षक राज्य शासन व्दारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के अधिकारी रहेगें ।

13. प्रवेश हेतु अर्हता

(एक) कोई भी ब्यक्ति जो मध्य प्रदेश में कम से कम 3 वर्ष से निवास कर रहा हो या कार्य का अभ्यस्त हो और वह परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता रखता हो तो उसे परीक्षा में प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

(दो) कोई भी व्यक्ति जो विनियम (एक) के अनुसार मध्य प्रदेश में निवास नहीं करता हो और कार्य करने का अभ्यस्त न हो तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु अन्य अर्हताएँ रखता हो, मन्डल अपने स्वविवेक से उसे अनुमति प्रदान कर सकेगा ।

तीन-परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का प्रवेश

[14. (एक) पर्यवेक्षक की परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता - (क) पर्यवेक्षक की सक्षमता परीक्षा के लिए उम्मीदवार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व्दारा संचालित हायर सेकिण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (10+2) स्कीम या बोर्ड व्दारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों को लेकर उत्तीर्ण हो, और

(ख) तारमिस्त्री की परीक्षाओं के चार व्यवसायों, अर्थात्, घरेलू, औद्योगिक, शिरोपरि तथा भूमिगत में से कम से कम दो व्यवसायों में उत्तीर्ण हो या ऐसा प्रोद्योगिक प्रमाणपत्र पेश करे जो कि मन्डल व्दारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त हो और ऊपर वर्णित अर्हता के अर्जन के पश्चात् विद्युत् संस्थापन कार्य में मन्डल के समाधानप्रद रूप में कम से कम पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो, और

या

विद्युत संस्थापन कार्य में कम से कम दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो और मन्डल व्दारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री/डिप्लोमा हो ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

टिप्पणी- ऐसे उम्मीदवार को, जिसने दसवी परीक्षा उत्तीर्ण की हो [2][जुलाई, 1991] में या उसके पूर्व संचालित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा । तत्पश्चात ऐसे दसवी पास उम्मीदवार को, जो जनवरी, 1991 में परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या इस तारीख के पूर्व 2 वर्ष के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और असफल हो गया । जनवरी, 1993 में या उसके पूर्व संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा ।

1. अधि० क्र० 1318-एफ- 1 - 21 तेरह - 86 दि० 3.3.90 व्दारा स्थापित ।
2. अधि० क्र० 2818-एफ-1 - 21 तेरह - 86 दि० 19-6-91 व्दारा स्थापित ।

(दो) तार मिस्त्री परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता -तार मिस्त्री परीक्षा में अभ्यर्थी को वायरिंग का कार्य और अन्य विद्युत् उपकरणों का कार्य का अनुभव जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा और जो मध्य प्रदेश में अनुज्ञापित विद्युत् ठेकेदार के अधीन होगा या ऐसा अन्य व्यवहारिक अनुभव जो मन्डल व्दारा

समाधानप्रद हो, अम्यर्थी धारण करता हो ।

15. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र -प्रत्येक अभ्यर्थी इन विनियमों के अधीन परीक्षा हेतु एक आवेदन पत्र प्रारूप "क" (पर्यवेक्षक हेतु) या "ख" (तार मिस्त्री हेतु) जैसा भी मामला हो में प्रस्तुत करेगा और उस पर अपने नियोजक, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी के समक्ष अपने हस्ताक्षर करेगा । अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र को पूर्ण कर सचिव को इस प्रयोजन हेतु नियत दिनांक के पूर्व अग्रेषित करेगा एवं आवेदन के साथ प्रारूप में उल्लिखित प्रमाण पत्र संलग्न करेगा । अभ्यर्थी व्दारा जमा किया गया शुल्क जिसका आवेदन परीक्षा में प्रवेश के लिये अंगीकृत/स्वीकार किया जायेगा को किसी भी कारण से शुल्क वापस नहीं किया जायेगा

परन्तु यह कि मंडल को यह अधिकार रहेगा कि वह अपना सन्तोषप्रद रूप में समाधान हो जाने पर अम्यर्थी को गत परीक्षा में सम्मिलित होने के उचित कारणों आगामी परीक्षा में बिना शुल्क दिये सम्मिलित होने की अनुमति दी जाय ।

चार--परीक्षा की पद्धति और विषय

16. पर्यवेक्षक परीक्षा -

[1][(क) पर्यवेक्षण के लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की परीक्षा के लिए उम्मीदवार की परीक्षा नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित प्रश्न पत्रों व्दारा तथा व्यवहारिक मौखिक परीक्षण करके ली जायेगी-

लिखित परीक्षा में चार प्रश्न पत्र होंगे-

प्रथम प्रश्न पत्र --- विद्युत सिद्धांत (इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी)

द्वितीय प्रश्न पत्र ---विद्युत उपयोग

तृतीय प्रश्न पत्र -विद्युत संस्थापनों की संस्थापन तथा उसका अनुरक्षण

चतुर्थ प्रश्न पत्र --खान संस्थापन

गैर खनिक संस्थापन में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मेदवार को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है खनिक संस्थापन में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को प्रथम तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना होगा ।

प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये 50 अंक होंगे और वह दो घण्टे का होगा ।

मौखिक तथा व्यवहारिक परीक्षा, लिखित प्रश्न पत्रों के लिए विहित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी तथा उसके लिये 100 अंक होंगे ।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये उम्मीदवार को प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में कम से कम 20 अंक और मौलिक एवं व्यवहारिक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने होंगे ।]

जिस उम्मीदवार ने गैर खनिक संस्थापन के लिए अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और

1. अधि० क्र० 1318-एफ-1-21 तेरह- 86 दि० 3-3-90 व्दारा स्थापित ।

जो खनिक संस्थापना की परीक्षा देना चाहता हो । उसे प्रथम प्रश्न पत्र पुन: देने की छूट दी जायेगी ।

(ख) पाठ्यक्रम--

MAP IT (MP Code)

प्रथम प्रश्न पत्र ---विद्युत शक्ति के सिद्धांत (प्रारम्भिक ज्ञान) ।

विद्युत शक्ति के सिद्धांत– विद्युत भार, धारा एवं रोक विद्युत के प्रतिरोध की इकाई का कानून, प्रतिरोध का कानून, और वोल्टेज में व्यक्त विद्युत शक्ति का परिणाम व उसकी गणना, विद्युत परिभ्रमण का क्रम व समान्तरताएँ व्यवहारिक रूप से वोल्टेज में व्यक्त विद्युत शक्ति का परिणाम, प्रवाह, प्रतिरोध, ऊर्जा, एवं शक्ति । विद्युत शक्ति यूनिट के संबंध (के.डब्लू.) और यांत्रिक शक्ति यूनिट (हार्स पॉवर) विद्युत चुम्बकीय, इ.एम.एफ. का उत्पादन और फिलेमिंग हैण्ड नियम, चुम्बकीय, रासायनिक, और ताप विद्युतीय शक्ति, चुम्बकीय प्रणाली तथा उसका क्रियान्वन ।

मटेरियल--- कंडक्टर्स, नान कन्डक्टर्स और इन्श्यूलेटर्स (बिजली का प्रवाह रोकने वाला यन्त्र), भौतिकी यन्त्र एवं उससे सम्बन्धित यन्त्र, ट्रांसफार्मस तेल, ताप और आर्द्रता का यन्त्रों पर प्रभाव, चिकनाई और उनका उपयोग ।

विभिन्न प्रक्रार के तार, केबल्स, स्विच, सर्किट, ब्रोकर्स कटआउट तथा अन्य, और उनकी उपयोगिता सामान्यत परिमाप और जानकारी पत्रक जो विद्युतीय पुस्तक में दिये गये है का उपयोग ।

विद्युत शक्ति का प्रजनन--- प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति, प्राईम मूहवर्स के प्रकार, विद्युत प्रवाह प्रजनन की विधि, वैकल्पिक विद्युत और सीधी शक्ति ।

ए० सी० जनरेटर्स (वैकल्पिक) -- आवश्यक उपकरण और रचनात्मक लक्षण, विद्युत शक्ति के परिणाम की विधि एवं उस पर निरन्तर नियन्त्रण करना, सिन्क्रोनाइजिंग की विधि एवं सिद्धान्त, सामान्य स्वीच पटल एवं उससे सम्बन्धित उपकरण ।

डी० सी० जनरेटर्स-- आवश्यक उपकरण एवं रचनात्मक लक्षण, शन्त सीरीज एवं डायनोमेस तथा उसकी लाक्षणिकता, विद्युत खम्बों से चिनगारी के कारण, कम्यूटेटर्स एवं उनका रख-रखाव, कार्बन ब्रेशेस एवं उनका समायोजन एवं सभाल वोल्टों में विद्युत शक्ति का परिणाम नियमन एवं विधियाँ समानान्तर क्रिया के प्रकार, सामान्य संलग्नक स्वीच पटल एवं उसके उपकरण ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

बैटरीज -प्राथमिक विद्युत घटक, सूखे घटक, अनुपूरक या एकत्रित बेटरीज या विद्युत यन्त्रों का संस्थापन, सीमा, तेजाब सेल्स; निकल स्पात या अलकानीन घटक, प्रारम्भिक तथा उसके पश्चात् बैटरीज का चार्जिग सर्किट का चार्जिग एवं गणना सीरीज एव समानान्तर सर्किट, बैटरीज का रख-रखाव, हाइड्रोमीटर्स का उपयोग ।

ए० सी० मोटर्स -- बिना विद्युन्मय पदार्थ के स्वर्श से बिजली के प्रवाह की प्रेरणा के सिद्धान्त (स्केरल केज और स्लीपरिंग के समान) सीक्रोनेस और मोटर्स का विनियम, उनका उपयोग, संस्थापन प्रारम्भ करने और चलन शक्ति की विधि और उनकी परिवर्तनशीलता ।

डी० सी० मोटर्स-- सीरीज शंट और कम्पाउण्ड समान मोटर्स, उनका उपयोग, शुरू करने की विधि और गति निरोधक ओर प्रचलन को पीछे करना के सिद्धान्त ।

ए०सी० सर्किट-- वैक्टर्स के फेस और फेस प्रतिरोध का अन्तर, ए.सी. सर्किट में इन्डक्शन और

केयसीरेन्स, समयानुसार या निरंतरता, ऊर्जा या ऊर्जा संचार एक फेस व तीन फेस प्रणाली, स्टार और डेल्टा कनेक्शन फेस अनुक्रम का ज्ञान ।

उपकरण नियन्त्रण और व्यवस्थापन - विभिन्न प्रकार के स्वीचेज और सर्किट ब्रेकर्स और कटआऊट्स, स्टार्टर्स, रेग्युलेटर्स का ज्ञान, ए०सी० और डी०सी० दोनों मोटर्स और उनके वायरिंग मोटर्स के साथ के संरक्षणशीलता के उपाय ।

रूपान्तरण-- ट्रासफारमर्स के एक फेस और तीन फेस उनकी बनावट, उपयोगिता और रख-रखाव, समानान्तर कार्यशीलता, आटो ट्रासफारमर्स, टेपिंग, तापमान गतिशीलता, उपकरण ट्रासफारमर्स का ज्ञान ।

रूपान्तरण- ऊर्जा यन्त्रों को चलाने के रोटरी कम्बटर्स और मरक्यूरी या रेक्टीफायर के सिद्धान्त ।

ट्रान्समीशन और वितरण-

(क) ऊपरी मुख्य लाइन निम्न दाव बनाने की सरल गणना एवं सामान्य सिद्धान्त मध्यम एवं उच्च दाब लाइन, कन्डेक्टर्स का आकार, पाटों की लम्बाई, साग्स, विद्युत खम्बों की क्षमता, कंडेक्टर्स में अन्तर, क्रास आर्म्स, तापमान का प्रभाव, बनावट का दबाव, कूलता एवं आम्लता, इन्सुलेटर्स तारों पर तनाव, ब्रेकेट्स, स्टेस, स्ट्रस, गार्ड वायर्स और उनके बचाव के सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्त, अर्थिंग विद्युत अरेस्टर्स और विद्युत कन्डक्टर्स और उसका परीक्षण, परीक्षण एवं त्रुटिगत स्थान ।

(ख) सतही तार- (अण्डर ग्राउण्ड केवल्स) भूमि में सीधे तार बिछाने की सरल गणना और उसके सामान्य सिद्धान्त, नान्द और पाईप्स, ऊपरी भूमि और सतही भूमि के जंक्शन पेठी को नियन्त्रित करना, बांधना प्लाम्बिग करना, वितरण पटल एवं विद्युत बच्चे, जोड पटल कम्पाउण्ड, कम्पाउण्ड का मेल्टिंग और पटलों का नस्तीकरण कम्पाउण्ड के साथ परीक्षण एवं त्रुटिगत स्थान देखना ।

प्रकाश-- मेटल फिलामेन्ट लेम्प्स, फलोरासेन्ट लेम्प्स सर्किट, उच्च दाब की ल्यूमिनस ट्यूब का संस्थापन, फोटो मेट्रीक यूनिट्स और सामान्य नाप दक्ष प्रकाशता और इसकी प्रारम्भिक गणना की सामान्य मांग सड़क प्रकाश, टाईम स्वीचेस ।

बचाव के नियम-- कार्य करने का ज्ञान ।

(एक) भारतीय विद्युत शक्ति नियम

(दो) वायरिंग नियम विद्युत के आकस्मिक आघात से पीड़ित व्यक्तियों का बचाव व प्रत्यार्पण ।

भाग-- -दो : घरेलू संस्थापन

वायरिंग-- विभिन्न प्रकार के वायरिंग बिछाने जैसे क्लीट, मेटल, शीथेड, लकड़ी और केपिंग, केब अनुसार शीथेड सामान्य प्रकाश एवं उच्च दाब का घरेलू स्थानों पर आवश्यक स्वीचगेयर के साथ संस्थापन छोटे उपकरण, अस्थायी संस्थापन का वायरिंग और विभिन्न सस्थापनों के मूल्य एवं सामान का अनुमान तथा छोटे उपकरण ।

सर्किट डायग्राम्स - विभिन्न सर्किट्स के लिए विद्युत संयोग -

(एक) घरेलू वायरिंग मुख्य और उपवितरण के साथ स्विच और कटआउट्स आदि प्रत्येक सर्किट के दबाव के साथ ।

(दो) बचाव के उपाय के साथ उनका उठाव ।

उपकरण - हीटर्स, कूकर्स, रेफ्रीजरेटर्स और घरेलू उपकरणों का रख-रखाव एवं संस्थापन विद्यूत घण्टी और इंडीकेटर्स छोटी मोटर्स पम्प और विद्यूत चढ़ाव ।

ऊर्जा का नाप एवं शुल्क - घरेलु सेवाओं के लिये ए०सी० और डी०सी० दोनों के लिए ऊर्जा शक्ति मोटर्स। विद्युत शक्ति से सम्बन्धित सामान्य गणना, ऊर्जा प्रारम्भ करने का प्रारम्भिक ज्ञान की विधि ।

परीक्षण और त्रुटि सेवा - वायरिंग संस्थापन और घरेलू उपकरणों में त्रुटिपूर्ण स्थानों का पता लगाना. इन्सुलेशन और निरन्तरता, परीक्षण त्रुटियों को दूर करना, सतही इन्सुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण, सतही परीक्षण ।

रक्षा के उपाय - फ्यूज और कटआउट का प्रारम्भिक ज्ञान, मोटर्स, घरेलू उपकरणों का सतही विद्यतीकरण आदि, लाइटनिंग अरेस्टर्स का उपयोग ।

औद्योगिक संस्थापन -

MAP IT (MP Code)

वायरिंग - औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा एव सामान्य प्रकाश के संस्थापन के साथ विभिन्न प्रकार के वायरिंग बिछाने जैसे लकड़ी पर बनाये गये और केपिंग पटल, मेटल, शीड्स, केब के समान कन्डयुट और आरमाउर्ड तार । अस्थायी संस्थापन और छोटे उपकरणों की वायरिंग ।

www.code.mp.gov.in

सर्किट डायग्राम्स -विद्युत संस्थापन हेतु--

(एक) डी.सी. और ए०सी० जनरेटर्स (प्रजनक) स्वीच पटल ट्रांसफारमर्स

(दो) मुख्य और उपवितरण पटल सर्किट ब्रेकर्स के साथ, स्वीच, फ्यूजस् यूनिट्स और प्रत्येक सर्किट के लिए दबाव का पत्रक;

(तीन) डी० सी० और ए० सी० मोटर्स, उनके स्टार्टर्स एवं रेग्यूलेटर्स

(चार) बेटरी चालू करने के उपकरण;

(पांच) यन्त्रों को बदलना;

(छः) संसाधारण एवं बचाव के उपाय ।

पम्प (यन्त्र) संस्थापन - हेड, ऊर्जा और विद्युत शक्ति की मांग के सामान्य सिद्धान्त और प्रारम्भिक गणना।

उपकरण - जनरेटर्स, विद्युत मोटर्स, विद्युत लिफ्ट, विद्युत धातु गलाने की भट्टी, विद्युत यन्त्रों का

जोड़, उपकरणों में तार लगाना, ताप और नमी के उपकरणों का संस्थापन और रख-रखाव ।

ऊर्जा और विद्युत शक्ति के शुल्क और माप -

ऊर्जा और वाट मीटर्स, ए० सी० और डी० सी० दोनों केपेसीटर्स के व्दारा ऊर्जा प्रवाह शक्ति में सुधार की सामान्य गणना ।

ऊर्जा और विद्युत शक्ति से सम्बन्धित मूल्यों की सामान्य गणना, मांग और विद्युत शक्ति प्रारम्भ करने की विधि का सामान्य ज्ञान ।

17 परीक्षण और त्रुटि सेवा - त्रुटियों को दूर करना, विभिन्न यन्त्रों में वायरिंग संस्थापन ऊपरी वितरण सेवाओ और सतही तारों, मोटर्स ए ० सी ० और डी० सी ० जनरेटर्स का स्थान पर परीक्षण करना । इन्सुलेशन और निरन्तर परीक्षण सतही इन्सुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण, सतही परीक्षण ।

रक्षा के उपाय - प्रजनन मोटर्स, यन्त्रों, उपकरणों के सतही तारों का सामान्य ज्ञान । कटआउट, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस का उपयोग । अधिक दाब और कम दाब से बचाव, थर्मल ट्रीप्स । अधिक चलायमान और मैदानी रोक स्वीचेज से बचाव ।

"प्रश्न पत्र तीन-विद्युत संस्थापनाओं की संस्थापना, परीक्षण तथा उनका अनुरक्षण"

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 अधिनियम की धाराएँ 2,12,18,21,22,24,26,28,30,33,34 36,39,50,51,53 और 54 तथा अनुसूची के खण्ड छह, सात एवं आठ से तेरह तक ।

भारतीय विद्युत नियम, 1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956)

समस्त नियम, अध्याय तीन, नौ, दस तथा उपबन्ध 1 से 7 तक तथा 10 से 12 तक को छोडकर ।

MAP IT (MP Code)

मध्य प्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972

अध्याय (चार) नियम 72, 77, 78 (3) 80, 81 82 तथा 85

www.code.mp.gov.in

भारतीय मानक

भारतीय मानक 3043 - 1987...	कोड आफ प्रेक्टिस फार अर्थिंग ।
भारतीय मानक 1646 - 1982...	कोड आफ प्रेक्टिस फार फायर सेफ्टी आफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन्स
भारतीय मानक 900 - 1965	कोड आफ प्रेक्टिस फार इनस्टालेशन एण्ड मेन्टेनेन्स आफ इन्डकसन मोटर्स ।
भारतीय मानक 10028 - 1981 - 1982 तथा 1985 (समस्त भाग)	कोड आफ प्रेक्टिस फार सिलेक्शन इस्टालेशन एण्ड मेन्टेनेन्स आफ ट्रान्सफारमर्स
भारतीय मानक 1866 - 1983	कोड आफ प्रेक्टिस फार मेन्टेनेन्स एण्डसुपरवीजन आफ इन्सुलेटिंग आईल इन सर्विस ।
भारतीय मानक 732 - 1982 तथा 1985 (समस्त भाग)	कोड आफ प्रेक्टिस फार इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन्स्टालेशन्स ।
भारतीय मानक - 10118 - तथा	कोड आफ प्रेक्टिस फार सिलेक्शन, इस्टालेशन एण्ड मेन्टेनेन्स

1985	आफ स्विचगीयर एण्ड कन्ट्रोल गीयर ।
भारतीय मानक 5572 - 1978	क्लासिफिकेशन आफ हेजारडस एरिया (अदर देन माइसन्स फार इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन्स ।
भारतीय मानक 5571 - 1979	गाइड फार सिलेक्शन आफ-इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेन्ट फार हेजारडस एरिया ।

[1][प्रश्न-पत्र] [3][तीन] - "खान अधिष्ठापन"

तार लगाना विभिन्न प्रकार के तार लगाना (वायरिंग) जैसे सतह पर लाइटिंग के प्रयोजनार्थ क्लीट लेड कबर, केब प्रकार के शीट्ड तथा जमीन के अन्दर वाले पावर तथा प्रकाश अधिष्ठापनों के लिये आरमर्डतार ।

परिपथ आरेख (सर्किट डायग्राम) - -निम्नलिखित के लिये विद्युत संयोजन (कनेक्शन) ---

(क) दिष्टधारा तथा प्रत्यावर्तीधारा जनित्र (डी० सी० तथा ए० सी० जनरेटर), स्विच बोर्ड परिणामित्र (ट्रांसफार्मर) आदि ;

(ख) परिपय वियोजक (सर्किट ब्रेकर्स) सहित वितरण बोर्ड (डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विस फ्यूज यूनिट तथा गेट एण्ड स्विच,

(ग) दिष्टधारा तथा प्रत्यावर्तीधारा (डी० सी० तथा ए० सी०) मोटर्स उनके स्टार्टर तथा रेगुलेटर,

(घ) बैटरी चार्जर तथा लैंप केबिन ।

उपकरण जिसमें कोयला और तेल खदानों के संकटमय स्थलों पर उपयोग होने वाले फ्लेम ग्रुफ उपकरण भी शामिल हैं ।

निम्नलिखित का अधिष्ठापन तथा अनुरक्षण -

(क) विद्युतलपेटक (इलेक्ट्रिकल बाइन्डर्स) जिसमें स्वचालित उपकरण कर्षण (हालेज) संवाती पंखे (वेन्टीलेटिंग फैन) पंप यूनिट तथा कम्प्रेशर शामिल है, के नियंत्रण गीयर तथा स्टार्टर,

(ख) रेक्टीफायर, रोटरी कनवर्टर, विद्युत इंजन (इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव) तथा बैटरी चार्जिंग स्टेशन,

(ग) पोर्टेबल तथा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण-

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

कोयला काटने वाले यंत्र - यांत्रिक भारक (लोडर्स), कनवेयर, ड्रिल यूनिट सहित ड्रिल पेनल, इलेक्ट्रिक सोवेल, ड्रेग लाइन, खुली कास्ट खदानों एवं फेस पंप में काम आने वाले रोटरी ड्रिल्स उनके नियंत्रण गियर गेट एण्ड बाक्सों को सम्मिलित करते हुये ।

(घ) पावर तथा लाइटिंग ट्रांन्सफारमर्स तथा केपीसिटर्स,

(च) इन्ट्रिसकली सुरक्षित सिगनलिंग उपकरण जिनमें टेलिफोन यंत्र शामिल हैं,

1. अधि० क्र० 1318 एफ-1-21 तेरह - 86 दिनांक 3-3-90 व्दारा पुन : क्रमावित ।
2. अधि० क्र० 16-3527 तेरह-72, दिनांक 7-1-75 व्दारा स्थापित ।

(छ) शाट फायरिंग उपकरण केवल के साथ, उनका उपयोग, सामयिक जांच था अनुरक्षण ।

पंपिंग, हालिंग तथा कुन्डलन वाइडिंग अधिष्ठापनों तथा अन्य - फेस मशीनरियो में भार, विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा (एनर्जी) के सामान्य सिद्धांत तथा उनकी प्रारंभिक गणना ।

शक्ति तथा ऊर्जा (एनर्जी) मापन एवं प्रभार - वाटमीटर, दिष्टधारा तथा प्रत्यावर्ती धारा, (डी० सी० तथा ए० सी०) दोनों प्रकार की उर्जा (एनर्जी) के मोटर के विद्युत शक्ति का मापन, केपीसिटरों व्दारा पावर फैक्टर का सुधार । शक्ति तथा ऊर्जा (एनर्जी) की लागत से सम्बन्धित साधारण गणना । मांग (डिमांड) तथा ऊर्जा (एनर्जी) के लिये प्रभार निकालने की रीतियों का प्रारंभिक ज्ञान ।

परीक्षण तथा त्रुटि का पता लगाना - विद्युत उपकरणो तथा केबिलों निम्न दबाव तथा दूर स्थान से नियंत्रण करने वाले परिपथयों में भू संपर्कन (अर्थिग) या अन्य त्रुटि का पता लगाना । विद्युत रोधन (इन्सुलेशन) और सातत्य परीक्षण (कन्टीन्यूटी टेस्ट) । त्रुटियो का सुधार करना, विद्युत् रोधन, भू-प्रतिरोध परीक्षण, लीकेज रक्षात्मक साधन की जाँच करना । भूपरीक्षण तथा उसकी सातत्यता (कन्टीन्यूटी) ।

पोर्टेबल तथा ट्रांसपोर्टबल उपकरणों के लिये लचकदार ट्रेलिंग केबिल - विभिन्न प्रकार के लचकदार केबिलों, जिसमें प्लायेबल आरमर्डतार भी शामिल हो का ज्ञान; उनका अधिष्ठापन, अनुरक्षण त्रुटि का पता लगाना, वल्केनाइज्ड जोडो व्दारा दक्ष मरम्मत एवं परीक्षण ।

सुरक्षा तथा रक्षात्मक उपकरण - मशीनरियों के धातु फ्रेमो के भू-सम्पर्कन (अर्थिग) का ज्ञान परिपथ वियोजक (सर्किट ब्रेकर) में बैक अप प्रोटेक्शन के लिये एच० आर० सी० कार्टराइज फ्यूजों का उपयोग । परिपथ वियोजक (सर्किट ब्रेकर) में ओवर लोड नो वाल्ट तथा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन तथा स्टार्टस ।

सुरक्षा नियम - अध्याय 10 की ओर विशेष निर्देश के तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 का व्यावहारिक ज्ञान ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मौखिक एवं व्यावहारिक परीक्षण

पाठ्यक्रम के आधार एक मौखिक एवं व्यवहारिक परीक्षक का लिखित पेपर होगा ।

18. तार मिस्त्रियों की परीक्षा -

(क) नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार तार मिस्त्रियों की परीक्षा पूर्णत: मौखिक और व्यावहारिक होगी ।

परीक्षा पांच भागों में होगी और सफल उम्मीदवारो को पांच कक्षाओं में निम्ना- नुसार प्रमाण पत्र दिये जावेंगे ।

कक्षा - 1 भाग 1 से 5 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सामान्य ।

कक्षा - 2 भाग 1 से 2 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को घरेलू ।

कक्षा - 3 भाग 1 से 3 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को औद्योगिक ।

कक्षा - 4 भाग 1 से 4 उत्तीर्ण उम्मीदवारो को ओव्हर हेड ।

कक्षा - 5 भाग 1 से 5 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सतही भाग ।

(ख) पाठ्यक्रम ---

भाग-एक

(क) उच्च दाब हेतु जोड़े गए तारों के नाप की जाँच करना ।

(ख) लेम्पस के उपयोग का परीक्षण, घंटी और बैटरी, मानक तार गेज, गीजर का उपयोग, त्रुटि के लिए सतही टेस्टर परीक्षण, सर्किट फेसिग आउट का परीक्षण और उसकी विधि और उपयोग ।

(ग) कृत्रिम स्वास किया उपचार ।

(घ) सर्किटर्स में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ना ।

(ड) भारतीय विद्युत् अधिनियम तथा नियमों के अधीन सामान्य ज्ञान ।

(च) विद्युत् के प्रतिरोधक की इकाई की विधि ।

(छ) ए० सी० तथा डी० सी० वितरण में अन्तर ।

(ज) मानक तार गेज का उपयोग ।

(स) सर्किटर्स के वितरण के लिए रेखाचित्र (डायग्राम) ।

भाग - दो

तारों को जोड़ने की निम्न विधि ------

(1) क्लीट तार संसाधन ।

(2) लकड़ी पटल ।

(3) लीड उपयोगिता ।

(4) सी० टी० एस० प्रणाली ।

(5) कन्डयुट प्रणाली ।

MAP IT (MP Code)

घरेलू तारों का सतहीकरण, दो नान स्वीच के साथ दो या तीन स्थानों पर लैम्प्स नियंत्रण, सीरीज में दो लेम्प्स या समानान्तरता ।

अनुमान पत्रक के साथ सविस्तार तार का संस्थापन रेखाचित्र । विद्युत् घंटी के साथ और गतिसूचक यंत्र के साथ पंखों में तार लगाना और अन्य उपयोगी उपकरण।

www.code.mp.gov.in

पंखों और गतिसूचक यंत्रों में सामान्य त्रुटि ।

कम दूरी के लिए ऊपरी सतह पर तार बिछाना, केट, लीड जानने की विधियां ।

आंतरिक मानक तारों में सीधे जोड़ लगाना ।

भाग-तीन

डी० सी० जनरेटर्स विद्युत् शक्ति परिणाम गति नियंत्रक के साथ संस्थापन और जोड़ना डी. सी० मोटर्स विभिन्न श्रेणी के स्टार्टर्स के साथ ए० सी० एक फेस और पोली फेस जनरेटर्स के साथ विद्युत शक्ति परिणाम गति नियंत्रक का संस्थापन एवं जोड़ना, ए० सी० मोटर्स, रोटरी विभाजन के साथ गियर्स पर नियंत्रण और उसे प्रारम्भ करना ट्रांसफारमर्स और कन्डेक्टर्स का संस्थापन और उन्हें जोड़ना ।

भाग - चार

खम्बों को लगाना, रोकना तथा बचाव तारों की दूरी, सुरक्षा उपाय, सतही तारों का बिछाना, प्रकाशकीय पकड़ और विभिन्न प्रकार के कन्डेक्टर्स, जोड़ना और संधीकरण कन्डेक्टर्स और साग में दूरी रखना ।

19. परीक्षाओं में सम्मिलित होने से छूट-

(1) (अ) मंडल, पर्यवेक्षक की परीक्षा में बैठने से किसी उम्मीदवार को छूट दे सकेगा यदि वह इस प्रयोजन के लिये मंडल व्दारा मान्यता प्राप्त विद्युत इंजी- नियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि धारण करता हो, और (क) उसके पास कम से कम 2 वर्ष का पश्चात्वर्ती व्यवहारिक अनुभव हो, या (ख) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो कि मंडल व्दारा अनुमोदित किया गया है ।

परन्तु जिस उम्मीदवार ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है उसे यथास्थिति विनियम 17 में विहित किया गया तृतीय प्रश्न पत्र या चतुर्थ प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करना होगा ।

(ख) विनियम 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, मंडल तृतीय प्रश्न पत्र तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र में की अतिरिक्त परीक्षा ऐसे स्थानों तथा ऐसी तारीखों में जैसा कि वह आवश्यक समझे संचालित कर सकेगा ।

(2) मंडल किसी भी उम्मीदवार को तार मिस्त्री को परीक्षा के किसी भाग यास भी भागों में सम्मिलित होने से छ्ट दे सकेगा यदि वह उन्नत यन्त्र विज्ञान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र धारक हो तथा इस हेतु मंडल व्दारा मान्यया प्राप्त हो । और कम से कम उसने दो वर्षो तक तार बिछाने और या विद्युत संस्थापन का कार्य किसी विद्युत ठेकेदार के अधीन मध्य प्रदेश में किया हो या मंडल व्दारा व्यवहारिक अनुभव संतोषजनक पाया हो ।

(1) अन्य व्यावहारिक अनुभव रखता हो, या

(2) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जो बोर्ड के विचार से समाधानप्रद हो ।

MAP IT (MP Code)

[20. पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाणपत्र तथा अनुज्ञा पत्र प्रदान करना - प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने पर्यवेक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करली हो या जिसे ऐसी परीक्षा में बैठने से छूट दी गई हो यथा स्थिति प्रारूप "सी" या "डी" में सक्षमता का एक प्रमाण-पत्र तथा "ई" में अनुज्ञापत्र प्रदान किया जायेगा ।

www.code.mp.gov.in

[21. तार मिस्त्री (वायरमेंन) को प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञापत्र प्रदान करना-- प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को जिसने तार मिस्त्री (वायरमेंन) की परीक्षा उत्तीर्ण करली हो या जिसे ऐसी परीक्षा में बैठने से छूट दे दी गई हो, प्रारूप "एफ" या "जी" में प्रमाण-पत्र और प्रारूप "एच" में अनुज्ञापत्र प्रदान किया जायेगा ।

[22. सक्षमता का प्रमाण-पत्र और पर्यवेक्षक अनुज्ञापत्र और तार मिस्त्री प्रमाण-पत्र था अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रतिलिपि स्वीकृत करना - पर्यवेक्षक को सक्षमता प्रमाण-पत्र का या अनुज्ञा ।

1. अधि. क्र. 1318 - एफ- 1-21 तेरह- 86, दिनांक3-3-90 व्दारा स्थापित ।
2. अधि. क्र. 498-1582--तेरह 76, दि० 5-3-77 व्दारा स्थपित ।

पत्र या तार मिस्त्री को प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क

जमा करने पर तथा मंडल का यह समाधान करने पर कि उसका मूल प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र गुम हो गया है, सचिव का समाधान हो जाने पर तथा आवेदक का अर्द्ध आकार का फोटो [1](51X6 मिली मीटर) (केवल परमिट के मामले में) जिसमें से एक हस्ताक्षरित हो प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकेगा ।

23. अनुज्ञापत्र की वापसी या निलम्बन - इन विनियमों के अधीन प्रत्येक अनुज्ञापत्र का धारक यदि किसी प्रकार की अनियमितता, विनियमों का उल्लंघन, करता पाया जायेगा जो मंडल समस्त अनुज्ञापत्रों जो कि इन विनियमों के अधीन स्वीकृत किये गये है को वापसी या निलम्बन के लिए निर्णय ले सकेगा ।

23. क [XXX XXX] विलुप्त

24. विद्युत ठेकेदारों को अनुज्ञापत्र

(1) कोई भी व्यक्ति विद्युत ठेकेदार का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञापत्र जारी नही किया गया हो ।

(2) कोई भी अनुज्ञापत्र का धारक विद्युत ठेकेदार कोई भी कार्य सम्पादित नहीं करेगा जब तक कि उसे इस कार्य के लिये अनुज्ञापत्र व्दारा प्राधिकृत नहीं किया गया हो ।

25. ठेकेदार अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन पत्र - अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप “आई" में करेगा ।

26. एक समुचित अनुज्ञप्ति “ए" और "बी" श्रेणी की उपयुक्त अनुज्ञप्ति विहित फीस का भुगतान करने पर प्रारूप "जे" में उस ठेकेदार को दी जायेगी जिसने मंडल को इस बात से समाधान करा दिया हो कि -

(क) वह नियमित रूप से विद्युत संस्थापन कार्य का व्यापार करता हो तथा परीक्षण के आवश्यक उपकरण निर्धारित अनुसूची अनुसार रखता हो ।

(ख) वह (यदि ठेकेदार पंजीकृत संस्था हो या उसका भागीदार हो तो उसके कार्य निष्पादन करने वाला सचिव) नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारी हो तथा निम्न योग्यताएँ, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र धारण करता हो-

(एक) “अ" श्रेणी ठेकेदार के लिये विनियम 20 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र या अनुज्ञापत्र पर्यवेक्षक के लिये अधिकृत किया हो ।

[(दो) "बी" श्रेणी की अनुज्ञप्ति के लिये रेग्युलेशन 20 के अधीन मन्जूर किया

1. अधि०क्र० 1281 - 5677 - तेरह-68, दि. 5-4-69 व्दारा स्थापित ।
2. विनियम 23 क अधि० क्र० 1754 - 4057 तेरह- 79 दि० 12-11-80 व्दारा जोड़ा गया तथा अधि० क्र ० 1318-एफ-1-21 -तेरह - 86 दि० 3-3-90 व्दारा विलुप्त ।
3. अधि. क्र. 3674-2259 तेरह. दि० 30-7-64 व्दारा जोडा गया ।
4. उपरोक्तानुसारर स्थापित ।
5. अधि० क्र० 1318-एफ-1-21 तेरह-86, दि० 3-3-90 व्दारा संशोधित ।
6. अधि० क्र० 3164-2328 तेरह 19-8-75 व्दारा जोड़ा गया ।

गया पर्यवेक्षण के लिये सक्षमता का प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञापत्र और/या घरेलू तथा औद्योगिक संस्थापन हेतु तार मिस्त्री के लिये विनियम 21 के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञापत्र ।

[1][(तीन) (X X X X X X) विलुप्त ।

(ग) उसका पूरा स्टाफ विनियम 21 के अधीन पूर्णकालिक तार मिस्त्री के अनुज्ञापत्र का धारक हो ।

[(घ) परीक्षण करने वाले ऐसे उपकरण जो कि उपखंड (क) के अधीन अपेक्षित है, वे उपकरण नहीं है जिन्हें कि मंडल में ऐसे अन्य ठेकेदार के नाम से रजिस्ट्रीकृत किया गया है जो कोई अनुज्ञप्ति धारण करता है या जिसकी अनुज्ञप्ति विनियम 31 के अधीन निलंबित कर दी गयी है ।

(ड.) वह अनुज्ञप्ति यदि मन्जूर की गई हो तो किसी ऐसे व्यक्ति व्दारा उपयोग में नहीं लाई जायेगी जिसकी अनुज्ञप्ति विनियम 31 के अधीन रह या निलंबित हो गई है ।

(2) (क) विनियम 1 के अधीन उल्लिखित शर्तो का पालन जब तक अनुज्ञापत्र कार्यशील हो ठेकेदार करेगा ।

(ख) खण्ड (1) के अधीन शर्तो के यदि ठेकेदार किसी भी शर्त का पालन नहीं करेगा तो उसका अनुज्ञापन तुरन्त निलम्बित माना जायेगा ।

(ग) शर्तो के उपखण्ड (ख) के अनुसार यदि अनुज्ञापत्र लगातार छह माह के लिये निलम्बित किया जाता है तो उसे निरस्त माना जाएगा ।

(घ) ठेकेदार व्दारा आवेदन करने पर निर्धारित विहित शुल्क जमा करने पर अनुज्ञापत्र की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा यदि नवीन श्रेणी के अनुज्ञापत्र के लिये वह अर्हताएं पूरी करता हो ।

[(3) शिक्षु, (क) कोई भी ठेकेदार प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञा-पत्र धारक कर्मचारीवृन्द के अतिरिक्त शिक्षुओं को काम पर लगा सकेगा ।

(ख) काम पर लगाये गए शिक्षुओं की संख्या, उन शिक्षुओं को छोड़कर, जो ऐसे प्रोद्योगिकीय प्रमाण पत्र के धारक है जैसे कि इस प्रयोजन के लिये मंडल व्दारा मान्य किये गये हों, तथा दो अन्य को अपवर्जित करते हुये, ठेकेदार के पास कार्यरत प्रत्येक पूर्णकालिक अनुज्ञा- पत्र धारक कर्मचारीवृन्द के लिये दो से अधिक नहीं होगी ।

(ग) किसी शिशु को काम पर लगाने पर ठेकेदार सात दिन के भीतर उसे मंडल में रजिस्ट्रीकृत करवायेगा और ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जैसे कि अपेक्षित किये जाएँ प्रत्येक शिशु के लिये रजिस्ट्रीकरण फीस 2-00 रुपये देय होगी । पहले से ही काम पर लगाये गये शिक्षुओं को इस खंड के प्रवर्तन की तारीख से एक मास के भीतर उसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत किया किया जायेगा ।

---

1. अधि० क्र० 1318-F-1-21- तेरह, दिनांक 3-3-90 व्दारा विलुप्त ।
2. अधि० क्र. 1754- 4057- तेरह-79 दि० 12-11-80 व्दारा स्थापित ।
3. अधि० क्र० 1754-4057, दि० 12-11-80 व्दारा स्थापित ।

(घ) किसी शिक्षु को काम पर लगाने का प्राथमिक प्रयोजन अनुज्ञापन मंडल से अनुज्ञा- पत्र अभिप्राप्त. करने के. लिये उसे प्रशिक्षित करना है । अतएव, दो वर्ष की शिछुता के पश्चात ठेकेदार शिशु की यथास्थित परीक्षा में बैठने या छूट प्राप्त कराने की व्यवस्था करेगा । ऐसा शिशु जो उसके रजिस्ट्रीकरण से चार वर्ष के भीतर अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे तो वह ठेकेदारों में से किसी भी ठेकेदार के साथ शिशु के रूप में बने रहने से वर्जित कर दिया जायेगा ।

(ड.) जहाँ, किसी ठेकेदार व्दारा काम पर लगाए गए शिक्षुओं में से पचास प्रतिशत से अधिक शिक्षु खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुज्ञापत्रों को अभि- प्राप्त करने में असमर्थ हो वहां यह उपधारणा

की जायेगी कि ठेकेदार उसके शिशुओं को उचित रूप से प्रशिक्षित करने में असमर्थ है और शिक्षुओं की अधिक- तम संख्या जो उसके व्दारा रखी जा सकती है ऐसी सीमा तक घटा दी जायगी जैसी कि मंडल व्दारा विनिश्चित की जाए ।"]

(4) कर्मचारियों की पंजी -प्रत्येक ठेकेदार प्रारूप 'के' में विहित एक पंजी रखेगा जिसमें पर्यवेक्षक, तार मिस्त्री और शिक्षुओं की उसके व्दारा की गई नियुक्ति का उल्लेख होगा शासन के विद्युत निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए ऐसी पंजी उपलब्ध रखी जायेगी । किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम ऐसी पंजी में प्रविष्ट न हो तार मिस्त्री का कर्मचारी नहीं माना जायेगा ।

(5) उपकरणों को अच्छी हालत में बनाये रखना - प्रत्येक ठेकेदार अनुसूची में उल्लेखित उपकरणों को अच्छी हालत में कार्य योग्य रखेगा शासन के विद्युत निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि व्दारा मांगे जाने पर ऐसे उपकरण निरीक्षण के लिए रखे जायेंगे ।

[(6) सेवा समाप्ति का सूचना पत्र - अनुज्ञा-पत्र का धारक, पर्यवेक्षक और/या तार मिस्त्री विद्युत अनुज्ञापत्र ठेकेदार के यहां से सेवा समाप्त करते ही इसकी सूचना दोनों को ठेकेदार एवं अनुज्ञापत्र धारक को सचिव को प्रस्तुत करनी होगी । खण्ड (1) के अनुसार ठेकेदार कार्य छोड़ कर गए अनुज्ञापत्र धारक के स्थान पर पर्यवेक्षक और/या तार मिस्त्री नियुक्त करेगा एवं उसका नाम तथा प्रमाणपत्र का क्रमांक सूचित करेगा ।

[26-क. अस्थायी अनुज्ञप्ति- (1) किसी विनिर्दिष्ट कार्य तथा छह मास से अनधिक कालावधि के लिये अस्थायी अनुज्ञप्ति ऐसे किसी ठेकेदार को विहित फीस का संदाय करने पर जारी की जा सकेगी जो-

(क) किसी अन्य राज्य से अनुज्ञप्ति धारण करता हो और उसके अधीन उस राज्य में वैसे ही कार्य करने के लिये सक्षम हो ।
(ख) 'बी' श्रेणी की अनुज्ञप्ति धारण करता हो जो किसी एक राजस्व जिले के लिए हो और वह अन्य जिले में कार्य करना चाहता हो ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

1. अधि० क्र० 3674-2259 - तेरह; 30-7-64 व्दारा स्थापित ।
2. अधि० क्र० 1318-एफ-1-20-तेरह-86, दि० 3-3-90 व्दारा स्थापित ।

(2) उपखण्ड (1) के अधीन प्रदाय की गई अस्थायी अनुज्ञप्ति विहित फीस का संदाय करने पर और छह मास के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

[26 ख. ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति की अधिकारिता - विनियम 26 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति नीचे दर्शाये गए क्षेत्रों के भीतर प्रवृत्त रहेगी-

'ए' श्रेणी : सम्पूर्ण राज्य ।

'बी' श्रेणी : वह राजस्व जिला जिसके लिए पृष्ठांकित किया गया हो या ऐसा पृष्ठांकन न होने की दशा में, वह राजस्व जिला जहां ठेकेदार का मुख्यालय स्थित हो ।

27. ठेके का तारीका - अनुज्ञापत्र का धारण ठेकेदार प्रत्येक ठेके का कार्य लिखित में प्राप्त करेगा और अनुज्ञापत्र ठेकेदार उसके लिये दायित्वाधीन होगा, जिस सामान का उसने उपयोग किया है जिस रीति से

समान लगाया गया है उसका गुण तथा लगाने का प्रकार ।

ठेकेदार उसके व्दारा लिये गए ठेकों का इन्द्राज प्रपत्र 'एल' में विहित रीति में करेगा तथा शासन के विद्युत निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा ।

ठेकेदार किसी भी कार्य का प्रारम्भ विद्युत निरीक्षक को लिखित सूचना दिए बिना नहीं करेगा ।

[28 कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट - विनियम 26(1) (ख) के अधीन विद्युत संस्थापन कार्य समाप्ति के पश्चात अनुज्ञापत्र का धारक कर्मचारी संस्थान कार्य का निरीक्षण करेगा और कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट स्वामी एवं विद्युत संभरण अधिकारी को अनुज्ञापत्र धारक के हस्ताक्षर सहित ठेकेदार अपने प्रतिहस्ताक्षर कर देगा।

[28 क. त्रुटि का सुधार- (1) विनियम 28 के अधीन कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी, ठेकेदार प्रदाय प्रारम्भ होने की तारीख से तीन मास की कालावधि समाप्त होने के पूर्व या उस तारीख को जिसको कि कार्य प्रारम्भ किया गया है, जानकारी में आई किसी भी त्रुटि को तत्परता से सुधारेगा ।
(2) ठेकेदार, उपर्युक्त कालावधि के समाप्त होने पर कार्य का निरीक्षण करेगा तथा प्रतिष्ठापन का परीक्षण करेगा और पाई गई त्रुटियों को, यदि कोई हो, सुधारेगा तथा प्रतिष्ठापन के स्वामी और विद्युत प्रदाय अधिकारी को ऐसे प्रारूप में, जैसा कि मंडल व्दारा विहित किया जाय, परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
(3) परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर, ठेकेदार प्रतिष्ठापन में की किसी भी त्रुटि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा सिवाय ऐसी त्रुटि या नियमों के ऐसे अतिक्रमण के कारण जो उसकी उपेक्षा या अनुपयुक्त कार्य कौशल के फलस्वरूप हुई हो और जो खण्ड (2) के अधीन परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास की कालावधि समाप्त होने के पूर्व जानकारी में आई हो ।

1. अधि० क्र० 1318, दि० 3-3-90 व्दारा स्थापित ।
2. अधि० क्र० 2674-2259, दि० 30-7-64 ।
3. अधि० क्र० 1754-4057, दि० 12-11-80 व्दारा स्थापित ।
4. अधि० क्र० 1754-4057, दि० 12-11-80 व्दारा स्थापित ।

MAP IT (MP Code)
www.mpcode.mp.gov.in

29. ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की अवधि तथा नवीनीकरण - इन विनियमों के अधीन मन्जूर अथवा नवीकृत प्रत्येक विद्युत ठेकेदार की अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अन्तिम अंग्रेजी वर्ष के अवसान होने पर समाप्त हो जाएगी तथा इसके पश्चात् उसका नवीकरण प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा ।

नवीकरण के लिये आवेदन पत्र तथा नवीकरण फीस जमा किये जाने के समर्थन में तत्सम्बन्धी चालन, कर्मचारीवृन्द की घोषणा प्रारूप "एम" में तथा उपकरणों के परीक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रारूप "एन" में अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व सचिव को प्रस्तुत किया जायेगा। अनुज्ञप्ति समाप्ति की तारीख से पूर्व नवीकृत न कराई गई अनुज्ञप्ति निलम्बित मानी जायेगी और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पश्चात् छह मास- तक नवीकृत न कराई गई अनुज्ञप्ति रह मानी जायेगी और उस अवधि के पश्चात् नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी :

परन्तु इन संशोधनों के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्य “सी" वर्ग के ठेकेदार की अनुज्ञप्ति विहित फीस का संदाय किया जाने पर और ऐसी शर्तो पर जो पूर्व विनियमों के अधीन लागू हों, 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी, किन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति नवीकरण के पश्चात् केवल उस राजस्व जिले के लिये विधिमान्य रहेगी जिसके लिए वह पृष्ठांकित की गई हो ।]

30 ठेकेदार के अनुज्ञापत्र की प्रतिलिपि स्वीकृत करना - सचिव का सन्तोषप्रद समाधान हो जाने पर एवं गुम हुए अनुज्ञा-पत्र के प्रमाण-पत्र हेतु विहित शुल्क जमा करने के पश्चात् इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति ठेकेदार को स्वीकृत की जाएगी ।

31. ठेकेदार का अनुज्ञा-पत्र निरस्त या निलम्बित करना - नियमों का उल्लंघन करने पर मंडल के विचार से मंडल ठेकेदार का अनुज्ञा-पत्र निरस्त या निलम्बित कर सकेगा ।

32. ठेकेदार पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री व्दारा अनियमितता या अवहेलना - ठेकेदार, पर्यवेक्षक या तारमिस्त्री किसी त्रुटि या अनियमितता या अवहेलना का दोषी पाया जाने पर सचिव आवश्यक जांच करेगा तथा अपना प्रतिवेदन मंडल को देगा । इस सम्बन्ध में मंडल व्दारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।

33. सचिव व्दारा विनियमों के अधीन जारी किए गए समस्त अनुज्ञा-पत्र धारक विद्युत् ठेकेदारों, पर्यवेक्षकों और तार मिस्त्रियों की एक पंजी रखी जाएगी ।

चार-फीस

[34. फीस - इन विनियमों के अधीन उदगृहीत की जाने वाली फीस निम्नानुसार विहित की जाती है-

(क) पर्यवेक्षक :

	रूपय
1. परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन जिसमें सक्षमता मंजूरी तथा अनुज्ञा सम्मिलित है ।	40.00 खनि या गैर खनि प्रमाण-पत्र की प्रत्येक विषय के लिए ।
2. परीक्षा से छूट के लिए आवेदन जिसमें सक्षमता प्रमाण पत्र की मंजूरी तथा अनुज्ञा सम्मिलित है ।	30.00 खनि या गैर खनि प्रत्येक विषय के लिए ।
3. सक्षमता प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा की दूसरी प्रति जारी करने के लिये ।	20.00
(ख) तार मिस्त्री (वायर मेन) :	
1. परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन जिसमें प्रमाण-	
पत्र की मंजूरी तथा अनुज्ञा सम्मिलित है	
(क) दो, तीन और चार में से प्रत्येक वर्ग के लिए	20.00
(ख) पांचवें वर्ग के लिए	30.00
(ग) प्रथम वर्ग के लिए	70.00
2. प्रत्येक वर्ग हेतु परीक्षा से छूट के लिए आवेदन जिसमें प्रमाण-पत्र की मंजूरी तथा अनुज्ञा सम्मिलित है ।	10.00
3. प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा की दूसरी प्रति मंजूर करने के लिए ।	10.00
(ग) ठेकेदार : 1. नई अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना -	

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(क) श्रेणी “ए" के लिए	400.00
(ख) श्रेणी "बी" के लिए	200.00
2. अनुज्ञप्ति का उच्च वर्ग में परिवर्तन ।	200.00
3. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना-	
(क) श्रेणी “ए"	100.00
(ख) श्रेणी "बी"	50.00
4. प्रत्येक तीन वर्ष या उसके किसी भाग के लिए नवीकरण फीस यदि सम्यक् रूप से पूर्ण किया हुआ आवेदन-पत्र - (क) अनुज्ञप्ति के अवसान होने के कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाए-	
(एक) श्रेणी "ए"	100.00
(दो) श्रेणी "बी"	50.00
(ख) अनुज्ञप्ति के अवसान होने के पश्चात् एक मास के पूर्व प्रस्तुत किया जाए- (एक) श्रेणी “ए"	160.00
(दो) श्रेणी "बी"	50.00
(ग) अनुज्ञप्ति के अवसान होने के एक मास पश्चात् प्रस्तुत किया जाए - (एक) श्रेणी “ए”	240.00
(दो) श्रेणी "बी"	120.00
(घ) विनियम 26-ए के अधीन अस्थाई अनुज्ञप्ति छह मास या उसके किसी भाग के लिए - (एक) विनियम 26-ए (1) के अधीन	1000.00
(दो) विनिय 26-ए (2) के अधीन	100.00

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

टिप्पणी - फीस की देनगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के खजाने में शीर्ष- " 0043 टेक्सेस एण्ड ड्यूटीज आन इलेक्ट्रीसिटी - 102 - फीस अण्डर दि इलेक्ट्रीसिटी रूल्स" में की जाएगी एवं चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ सचिव को भेजी जाएगी ।

(17) विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाये, अर्थात् -

35. अन्य राज्य व्दारा जारी किए गए पर्यवेक्षक के सक्षमता प्रमाण-पत्र की मान्यता - मंडल अन्य ऐसे राज्यों व्दारा जारी किए गए पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान कर सकेगा, जिन्होंने मंडल की राय में पर्यवेक्षकों की परीक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम अंगीकार किया हो जो विनियम 17 के अधीन विहित पाठ्यक्रम से कम स्तर का न हो । तथापि उम्मीद- वारों को ऐसे प्रश्न-पत्रों में बैठना आवश्यक होगा जिनके समकक्ष प्रश्न-पत्र मंडल की राय में अन्य राज्यों व्दारा ऐसे पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए विहित नहीं किये गये हैं ।

36. X X X X X X (विलुप्त) (अधि० क्र० 1318 दि० 3-3-90 देखिये] ।

37. X X X X X X (विलुप्त) अधि. क्र. 1318 दि० 3-3-90 देखिये ।

अनुसूची

विनियम 26 के अनुसार ठेकेदार व्दारा उसके अधीन रखे गये उपकरण "ए" बर्ग के अनुज्ञापत्र धारक ठेकेदार के लिये

1. इंसुलेशन टेस्टर 500 वोल्ट्स ।
2. छोटा (आसान) अमेटर डायल (15 से० मी० 50 एम्प. श्रेणी का ।
3. छोटा वोल्ट मीटर डायल (15 से० मी०) 50 एम्प० श्रेणी का ।
4. भूमि प्रतिरोधात्मक टेस्टर ।

"बी" वर्ग के अनुज्ञापत्र धारक ठेकेदार के लिये

1. इन्सुलेशन टेस्टर 500 वोल्ट्स ।
2. छोटा अमेटर डायल (15 से० मी०) 50 एम्प. श्रेणी का ।
3. छोटा वोल्टमीटर (15 से. मी.) 500 वोल्ट श्रेणी का ।

"सी" वर्ग के अनुज्ञापत्र धारक ठेकेदार के लिये

X X X X X X (विलुप्त) [अधि. क्र. 1318, दि. 3-3-90 देखिये] ।

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापत्र मंडल (विद्युत) विनियग का विनियम 15 देखिये]

पर्यवेक्षक परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र

MAP IT (MP Code)

1. पूरा नाम बड़े अक्षरों में
2. पिता का नाम
3. पूरा पता
4. जन्म दिनांक एवं आगामी जन्म दिन को आयु
5. योग्यता का विवरण

www.code.mp.gov.in

उत्तीर्ण परीक्षा	लिये गये विषय	वर्ष
6. व्यावहारिक ज्ञान		
नियोजक का नाम	कब से कब तक	किये गए कार्य का विवरण
7. माध्यम जिसके व्दारा आवेदक परीक्षा देना चाहता है		अग्रेजी/हिन्दी
8. कोषालय की रसीद क्रमांक व दिनांक जिसके व्दारा परीक्षा शुल्क जमा किया गया है		
9. केन्द्र जहां आवेदक परीक्षा देना चाहता है		

10. मध्य प्रदेश में निवास की अवधि ।

कब से.....कब तक..... स्थान.....

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे जानकारी और विश्वास के आधार सत्य व शुद्ध है

।

दिनांक.....

.....

(.....)
आवेदक के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

हस्ताक्षर.....
पद.....

(1) निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें -
(एक) आवेदन के स्तम्भ 5 एवं 6 में उल्लेखित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की सत्य प्रतियां जो कि राजपत्रित अधिकारी व्दारा प्रमाणित की गई हो ।
(दो) राजपत्रित अधिकारी या दण्डा धिकारी व्दारा मूलत: नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र ।
(तीन) विनिमय 34 के अधीन उल्लिखित चालान की प्रति जिसके व्दारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया गया हो ।
(चार) दो नवीनतम चित्र (51 X 63 मिलीमीटर आकार के) जिसमें से एक पर पीछे हस्ताक्षर किये गये हों।
"(दो) आवेदन-पत्र पर आवेदक के विद्यमान नियोजक, गजिस्ट्रेट, सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ऐसे अधिकारी की उपस्थिति मे जो सहायक यंत्री की पंक्ति से नीचे का न हो, आवेदक व्दारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये । आवेदक के नमूने के तीन हस्ताक्षर जो उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी व्दारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किये गये हों भी संलग्न किये जायेंगे । "
(12) यदि उम्मीदवार अंतिम दो वर्षों के दौरान संचालित परीक्षा में बैठा हो तो-

माह/वर्ष जब परीक्षा	रोल नं०	केन्द्र	विषय	परीक्षाफल में बैठा
1.	2.	3.	4.	5.

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रारूप "बी"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापत्र मंडल (विद्युत) विनियम का विनियम 15 देखिये]

तार मिस्त्री परीक्षा हेतु आवेदन पत्र

1. पूरा नाम बड़े अक्षरों में
2. पिता का नाम
3. पूरा पता
4. जन्म दिनांक तथा आगामी जन्म दिनांक को आयु
5. अर्हताओं का विवरण

उत्तीर्ण परीक्षा	लिये गये विषय	वर्ष
7. व्यावहारिक ज्ञान		
नियोजक का नाम	कब से कब तक	किये गए कार्य का विवरण

7. (क) परीक्षा का भाग जिसमें आवेदक परीक्षा देना चाहता है ।
   (ख) परीक्षा का माध्यम जिसमें आवेदक परीक्षा देना चाहता है ।
   हिन्दी/अंग्रेजी
8. कोषालय की रसीद क्रमांक व दिनांक जिसके व्दारा परीक्षा शुल्क जमा किया गया है ।
9. केन्द्र जहां आवेदन परीक्षा देना चाहता है ।
10. मध्य प्रदेश में निवास की अवधि ।

MAP IT (MP Code)

कब से.....कब तक..... स्थान..... मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी से सत्य एवं शुद्ध है ।

दिनांक.....

www.code.mp.gov.in

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हस्ताक्षर.....

पद.....

(1) निम्नांकित प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें---

(क) आवेदन के स्तम्भ 5 एवं 6 में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की सत्य प्रतियों जो कि राजपत्रित अधिकारी व्दारा प्रमाणित की गई हों ।

(ख) राजपत्रित अधिकारी या दण्डाधिकारी व्दारा जारी नवीनतम चरित प्रमाण-पत्र (मूलत:) ।

(ग) विनियम 34 में उल्लेखित चालन की प्रति जिसके व्दारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया गया हो।

(घ) दो नवीनतम फोटो (51 X 63 मि० मी० आकार के) जिसमें से एक पर पीछे हस्ताक्षर किए गए हों

"(दो) आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्यमान नियोजक, मजिस्ट्रेट, सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, के ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जो सहायक यंत्री की पंक्ति से नीचे का न हो, आवेदक व्दारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये । आवेदक के नमूने के तीन

हस्ताक्षर जो उपर्युक्त अधिकारियों में से 'किसी अधिकारी व्दारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किये गये हों भी संलग्न किये जायेंगे । "

प्रारूप "सी"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्यत्) विनियम, 1960 के निवियम 20 देखिये।

सक्षमता का प्रमाण-पत्र

श्री..... व्दारा अनुज्ञापन मंडल को सन्तोषप्रद निर्धारित पर्यवेक्षक परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने पर जो कि दिनांक..... को आयोजित की गई थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर यह सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है जिसके अनुसार माईनिग/नान-माइनिंग अथवा सभी प्रकार का विद्युत् संस्थापन कार्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष
अनुज्ञापन मंडल

दिनांक 19

सचिव
अनुज्ञापन मंडल

प्रारूप "डी"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत्) विनियम, 1960 के विनियम, 20 देखिए]

सक्षमता का प्रमाण-पत्र

श्री .....व्दारा अनुज्ञापन मंडल को यह विश्वास दिलाने पर कि वह पर्यवेक्षक परीक्षा की योग्यता पूर्ण करता है के। यह सक्षमता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ।

दिनांक.....19

अध्यक्ष
अनुज्ञापन मंडल

सचिव
अनुज्ञापन मंडल

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रारूप "ई"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 के विनियम 20 देखिए]

पर्यवेक्षक के लिए अनुज्ञा-पत्र

प्रथम पृष्ठ

जारी होने का दिनांक.....

द्वितीय पृष्ठ

नाम.....

सक्षमता प्रमाण-पत्र का क्रमांक व दिनाक.....

तृतीय पृष्ठ

फोटोग्राफ (छाया चित्र)

चतुर्थ पृष्ठ

मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक..... ...

दिनांक.....

..... व्दारा जारी नियमों के अनुसार यह अनुज्ञापत्र पात्रता धारी को विद्युत संस्थापन कार्य निरीक्षण करने और माईनिंग और नान माईनिंग कार्य सम्पादित करने के लिये जारी किया जाता है किन्तु यह अनुज्ञा-पत्र धारक विद्युत ठेकेदारी कार्य तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह ठेकेदार का अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं करता ।

यह अनुज्ञा-पत्र पात्रताधारी व्यक्ति व्दारा भरा एवं उपयोग किया जाएगा ।

सचिव
अनुज्ञापन मंडल

अध्यक्ष
अनुज्ञापन मंडल

(X X X विलुप्त)

प्रारूप "एफ"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत) विनियम, 1960 का विनयम 21 देखिये]

तार मिस्त्री प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री... .....व्दारा तार मिस्त्री .....परीक्षा जो कि दिनांक..... को दिनांक को आयोजित की गई थी में निम्नानुसार संस्थापन वर्गो में उत्तीर्ण की है ।

घरेलू विद्युत संस्थापन
और औद्योगिक विद्युत संस्थापन
और ओव्हर हेड विद्युतीकरण
तथा सतही केबल्स
सभी प्रकार का विद्युत संस्थापन

सचिव
अनुज्ञापन मंडल

अध्यक्ष
अनुज्ञापन मंडल

दिनांक..... 19

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रारूप "जी"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत्) विनियम, 1960 का विनियम 21 देखिए]

तार मिस्त्री प्रमाण-पत्र

श्री..... व्दारा अनुज्ञापन मंडल को यह समाधान कराए जाने पर कि उसकी योग्यताएं उसे तार मिस्त्री के लिए आयोजित निर्धारित परीक्षा की अर्हताए रखता है को हार मिस्त्री प्रमाण-पत्र निम्न श्रेणियों के कार्य सम्पादित करने के लिए जारी किया जाता है-

घरेलू विद्युत् संस्थापन
और औद्योगिक विद्युत संस्थापन
और ओव्हर हेड विद्युत्किरण
और सतही केबल्स
सभी प्रकार का विद्युत् संस्थापन कार्य

दिनांक.....19

सचिव — अध्यक्ष
अनुज्ञापन मंडल — अनुज्ञापन मंडल

प्रारूप "एच"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 के विनियम 21 देखिये]

तार मिस्त्रों का परमिट

जारी होने का दिनांक

द्वितीय पृष्ठ

नाम
तार मिस्त्री प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक

तृतीय पृष्ठ

फोटोग्राफ (छायाचित्र)

चतुर्थ पृष्ठ

मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मन्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के अधीन यह अनुज्ञापत्र धारक को निम्न श्रेणियों का विद्युत् ठेकेदारी कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है ।

अनुज्ञापत्र में उल्लेखित धारक व्दारा किया जाने वाला कार्य ।

श्रेणी-एक सामान्य
श्रेणी-दो-घरेलू विद्युत् संस्थापन
श्रेणी-तीन-औद्योगिक विद्युत् संस्थापन
श्रेणी-चार-ओव्हरहेड विद्युतीकरण
श्रेणी-पांच-सतही केबल्स

सचिव — अध्यक्ष
अनुज्ञापन मन्डल — अनुज्ञापन मन्डल

(X X X X X X (विलुप्त)

संलग्नक-क

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रारूप "आई"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापत्र मंडल (विद्युत्) विनियम, 1960 का विनियम 25 देखिये]

ठेकेदारो अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता ।
2. स्वामी/पार्टनर/प्रतिनिधि/सचिव का नाम
   निवास का पता तथा आयु और पंजीयन
   क्रमांक यदि वह सहकारी संस्था या समिति
   हो तब एवं एवं पंजीयन की सत्यप्रतिलिपि सहित ।
3. यदि ठेकेदार को अनुज्ञापत्र पूर्व में जारी
   किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण दें ।
4. प्रमाणित पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री का विवरण ।

नाम	अनुज्ञापन क्रमांक	कार्य की श्रेणी	प्राथमिकता का दिनांक
(क) पर्यवेक्षक ।			
(ख) तार मिस्त्री ।			

5. स्थापित उपकरणों का पूर्ण विवरण ।

उपकरण का नाम	निर्माण	निर्माता का विवरण क्रमांक

6 जमा किए गए शुल्क की कोषालय, रसीद संलग्न करें ।

(एक) मैं/हम घोषणा करते हैं कि/करता हूँ कि उपरोक्त विवरण में उल्लेखित जानकारी मेरे/हमारे पूर्ण ज्ञान से सही है और मैंने/हमने वे शर्तें एवं नियम ज्ञात कर लिए हैं जिसके अन्तर्गत विद्युत अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है । इसके उल्लंघन पर अनुज्ञापत्र निरस्त या वापस किया जा सकता है ।

(दो) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मन्डल (विद्युत) विनियम, 1960 की नवीनीकृत प्रति उपलब्ध है तथा मैं /हम इनका पालन करेगें । मैं/हम पर्यवेक्षक तथा तार मिस्त्री, तार- मिस्त्रियों व्दारा प्रस्तुत घोषणापत्र जो कि अनुक्रमांक 4 में उल्लेखित है मेरे/हमारे व्दारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं जो कि वापस किया जावें । मैं /हम यह अश्वासन देते हैं कि हम पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री के नियुक्ति तथा पता बदलने पर सचिव अनुज्ञापन मन्डल को इसकी सूचना 7 दिन में देगें तथा मेरा/हमारा अनुज्ञापत्र तदनुसार पृष्ठाकित करायेगे ।

(तीन) मैं /हम प्रमाणित करते हैं कि मद 5 में उल्लेखित उपकरण सही है और विनियमों के अनुसार है ।

भागीदारों के हस्ताक्षर, यदि कोई हों .....

1 ..... हस्ताक्षर

2 ..... दिनांक.....

प्रारूप "आई" में, निम्नलिखित टिप्पणी अंत मे जोड़ा जाय, अर्थात्-

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

" टिप्पणी - आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे-

(एक) आवेदक व्दारा नियुक्त किये गये कर्मचारीवृन्द में से प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रारूप "एम" में घोषणापत्र ;

(दो) उपकरणों के स्वामित्व के सबूत के साथ उपकरणो के लिये प्रारूप "एन" में परीक्षण प्रमाणपत्र, सामान्यत: उस फर्म से, जिससे कि उपकरण क्रय किये गये हैं, प्राप्त मूल केशमेमों या रसीद को सबूत के रूप में स्वीकार किया जायगा । ऐसे केश मेंमों/ऐसी रसीद के न होने पर एक शपथपत्र भेजा जायगा;

(तीन) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के समर्थन में मूल ट्रेजरी चालान;

(चार) ठेकेदार के, या भागीदारी फर्म के मामले में, ठेकेदार के रूप में हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत भागी दार के या कम्पनी के मामले मैं ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किसी मजिस्ट्रेट, सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या मध्य प्रदेश विद्युत मन्डल के किसी ऐसे अधि- कारी के व्दारा जो सहायक यंत्री की पंक्ति से नीचे का न हो, अनुप्रमाणित करवाकर भेजे जायेगे । "

अनुलग्नक ख

प्रारूप "जे"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 का विनियम 26 देखिये]

मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग

विद्युत् ठेकेदार का अनुज्ञापत्र

दिनांक

मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग की पंजीयन क्रमांक समय-समय पर तथा संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक..... दिनांक..... में उल्लिखित अधिसूचनाओं का पालन करने पर श्री/सर्व श्री ..... को मध्य प्रदेश में विद्युत् संस्थापन का कार्य किये जाने के लिए एतद्व्वारा अधिकृत किया जाता है ।

अनुज्ञापत्र निर्णय की श्रेणी

अनुज्ञा पत्र का कार्यक्षेत्र

(ए) श्रेणी - समस्त विद्युत् संस्थापन कार्यो को करने की अनुमति :

परन्तु यह कि 33 कि० वा० से अधिक अश्व शक्ति के लिए संस्थापन कार्यो के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक की लिखित अनुमति आवश्यक होगी ।

(बी) श्रेणी --- मध्यम दाब विद्युत संस्थापनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 हार्स पावर/ किलोवाट से अनधिक संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) तथा अन्य क्षेत्र मैं 10 हार्स पावर/किलोवाट से अनधिक संयोजित भार (कलेक्टेड लोड) तक कार्य करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया । उस अनुज्ञसि का धारक लिफ्ट संस्थापनाओं तथा भूमिगत केबिलों का कार्य करने का हकदार नहीं होगा" ।

(सी) श्रेणी [X X X X X X] विलुप्त ।

....

सचिव अध्यक्ष

मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल

(विद्युत) जबलपुर (विद्युत) जबलपुर

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

दिनांक.....

पद	नाम	नियुक्ति का दिनांक	छोड़ने का दिनांक
1. पर्यवेक्षक (एक) (दो) (तीन)			
2. तार मिस्त्री (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच)			
नवीनीकरण का दिनांक	समाप्ति का दिनांक		सचिव के हस्ताक्षर
1. 2. 3. 4. 5			

प्रारूप "के"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 का विनियम 26(4) देखिये]

कर्मचारियों की पंजी

अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	अनुज्ञापत्र क्रमांक	नियुक्ति का दिनांक	छोड़ने का दिनांक	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

प्रारूप "एल"

[मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल (विद्युत्) विनियम, 1960 का विनियम 27 देखिये]

ठेके की पंजी

अनुक्रमांक	स्वामी या उपभोक्ता का नाम	पता जहाँ कार्य किया जाना है	कार्य का प्रकार	प्रारम्भ करने का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.

कार्य समाप्ति का दिनांक	परिक्षण का दिनांक	परिक्षण का परिणाम	परिक्षण संस्थापन किए गए अनुज्ञापत्र धारक के हस्ताक्षर विनियम 28 के अनुसार	ठेकेदार के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रथम “एम” मुद्रित नहीं ।

MAP IT (MP Code)

www.code.mp.gov.in